

एनए-110/1/2021- एनए

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय
नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

चौथी मंजिल, ज़ोन-6, जी.पी.ओ.ए.-3,
नेताजी नगर, नई दिल्ली – 110023
दिनांक: अक्टूबर, 2026

सूचना

विषय: अनुसूची I की कोयला खानों के प्रतिकर के संबंध में दावे प्रस्तुत करने हेतु सूचना

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 9 तथा कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 के नियम 15 के उपबंधों के अनुसार, निम्नलिखित पक्षकारों को आमंत्रित करते हुए एतद्वारा सूचना जारी की जाती है कि वे अपने दावे, यदि कोई हों, सहायक दस्तावेजी साक्ष्य सहित **अनुबंध I** में सूचीबद्ध अनुसूची I की कोयला खानों के प्रतिकर के संबंध में प्रस्तुत करें:

- i. **जमानती लेनदार:** निहित आदेश की तिथि को अदत्त जमानती कर्ज के किसी भी भाग के लिए;
- ii. **केंद्रीय सरकार / भारत सरकार:** भारत सरकार के कोई भी विभाग या मंत्रालय, पूर्व आबंटिती से देय सभी राजस्व, कर, उपकर, अतिरिक्त लेवी और दरों के लिए, जो 31.03.2015 तक (अनुसूची II की खानों के संबंध में) या 24.09.2014 तक (अनुसूची I की अन्य खानों के संबंध में) देय हों तथा उस तिथि से ठीक पूर्व देय एवं संदेय हों;
- iii. **राज्य सरकार(रें):** राज्य सरकार(रों) के कोई भी विभाग या मंत्रालय, पूर्व आबंटिती से देय सभी राजस्व, कर, उपकर, अतिरिक्त लेवी और दरों के लिए, जो 31.03.2015 या 24.09.2014 तक देय हों तथा उस तिथि से ठीक पूर्व देय एवं संदेय हों;
- iv. **स्थानीय प्राधिकारी (प्राधिकारियों):** पूर्व आबंटिती से देय सभी राजस्व, कर, उपकर, अतिरिक्त लेवी और दरों के लिए, जो 31.03.2015 या 24.09.2014 तक देय हुए हों तथा उस तिथि से ठीक पूर्व देय एवं संदेय हो गए हों।

2. उपर्युक्त सभी दावे, अपने-अपने दावों के प्रमाण सहित, एक बंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएँ, जिसके ऊपर “कोयला खान [कोयला खान का नाम लिखें] हेतु दावों की प्रस्तुति” अंकित हो, दिनांक 20.10.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय, चौथी मंजिल, ज़ोन-6, जी.पी.ओ.ए.-3, नेताजी नगर, नई दिल्ली – 110023 में।

3. दावों की स्कैन की हुई प्रतियां nomauthority.moc@nic.in पर ई-मेल द्वारा भी 20.10.2026 को सायं 5:00 बजे तक अथवा उससे पूर्व भेजी जाएँ। नियत तिथि को सायं 5:00 बजे के पश्चात प्राप्त दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अनुसूची I की कोयला खान के आबंटन के पश्चात किसी तृतीय पक्ष के पक्ष में खनन पट्टा निष्पादित किया गया हो, तो अधिनियम की धारा 3(1)(ड) के अनुसार ऐसे तृतीय पक्ष को पूर्व आबंटिती माना जाएगा।

5. सभी दावों के साथ निर्धारित प्रारूप (अनुबंध II) में एक शपथ-पत्र संलग्न होना चाहिए, जो नोटरी पब्लिक के समक्ष 10/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर विधिवत शपथ पूर्वक प्रमाणित किया गया हो।

भवदीय,

(अरविंद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-20903155

प्रतिलिपि:

- 1) तकनीकी निदेशक, एनआईसी: कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित

अनुबंध-I: दावे आमंत्रित करने हेतु कोयला खानों की सूची

क्र. सं.	कोयला खान	पूर्व आबंटिती	राज्य	निहित/आबंटन आदेश
1	डुमरी*	मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	झारखंड	01-अगस्त-2024
2	मार्की-ज़री-जामनी-अडकोली	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	महाराष्ट्र	29-नवंबर-2024
3	रामपिया एवं रामपिया का डिपसाइड	स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड (आईपीपी), जीएमआर एनर्जी (आईपीपी), आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड (सीपीपी), लैंको ग्रुप लिमिटेड (आईपीपी), नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड (आईपीपी), रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (आईपीपी)	ओडिशा	20-जनवरी-2025
4	गारे पालमा IV/5*	मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़	04-फरवरी-2025
5	दहेगांव/मकरधोकरा IV	आईएसटी स्टील एंड पावर लिमिटेड, गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	29-मई-2025
6	साहापुर पूर्व*	मैसर्स चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स सीसीपीएल)	मध्य प्रदेश	29-मई-2025
7	विजय सेंट्रल	कोल इंडिया लिमिटेड, एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	29-मई-2025
8	भंडक पश्चिम	श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड	महाराष्ट्र	25-जून-2025
9	चितरपुर/चितरपुर (संशोधित)	कॉर्पोरेट इस्पात अलॉयज लिमिटेड	झारखंड	08-अक्टूबर-2025

क्र. सं.	कोयला खान	पूर्व आबंटिती	राज्य	निहित/आबंटन आदेश
10	महुआगढी	कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीईएससी), जस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड	23-अक्टूबर-2025
11	राजगामार डिपसाइड (देवनारा)	एपीआई इस्पात एंड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड, सीजी स्पंज मैनुफैक्चरर्स कंसोर्टियम कोलफील्ड प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़	23-अक्टूबर-2025
12	राजगामार डिपसाइड (फुलकदीह नाला का दक्षिण)	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड, टॉपवर्थ स्टील प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़	10-नवंबर-2025
13	मंदाकिनी बी*	एनटीपीसी लिमिटेड	ओडिशा	07-अप्रैल-2026
14	माकी मंगली II	श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड (टॉपवर्थ ऊर्जा मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड)	महाराष्ट्र	03-मार्च-2021
15	उत्तर धाड़ू	झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, पवनजय स्टील एंड पावर लिमिटेड, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड, आधुनिक अलॉयज एंड पावर लिमिटेड	झारखंड	14-दिसंबर-2023

टिप्पणी*: अनुबंध-I में तारांकन (*) से चिह्नित कोयला खानों के संबंध में - जो अनुसूची I की ऐसी कोयला खानें हैं, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.09.2014 के निर्णय के पश्चात पुनः आबंटित किया गया था और जिन्हें बाद में प्रशासनिक या संविदात्मक आधारों पर समाप्त अथवा रद्द कर दिया गया था-दावे निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कड़ाई से शासित होंगे:

(क) **केंद्र सरकार की बकाया राशि:** भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय या विभाग संबंधित राजस्व, करों, शुल्क, उपकरों, अतिरिक्त शुल्क, या दरों के लिए दावे प्रस्तुत कर सकता है, जो संबंधित कोयला खान की पुनः आवंटन की तारीख शुरू होने वाली अवधि से लेकर समाप्ति की तारीख तक की अवधि के दौरान संबंधित आवंटिटी द्वारा अर्जित एवं देय हो तथा संदेय हो गए हों;

(ख) **राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी की बकाया राशि:** राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित विभाग अदत्त रॉयलटी, करों, उपकरों, दरों या स्थानीय सांविधिक लेवी के संबंध में दावे प्रस्तुत कर सकते हैं, जो विशेष रूप से पुनः आवंटन की तारीख से समाप्ति की तारीख तक की अवधि के दौरान अर्जित किए गए हों और देय हो गए हो;

(ग) **जमानती लेनदार:** जमानती लेनदार उक्त कोयला खान के कारण जमानती ऋण के बकाया हिस्से के लिए दावे प्रस्तुत कर सकते हैं, जो संबंधित कोयला खान के पुनः आवंटन की तारीख से शुरू होने वाली अवधि से रद्द किए जाने की तारीख तक की अवधि के दौरान वितरित या अर्जित किया गया हो।

2. उपर्युक्त कोयला खानों के संबंध में दावों की गणना को शासित करने वाली पुनः आवंटन एवं समाप्ति की संबंधित तिथियाँ नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	खान का नाम	पुनः आवंटन की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	डुमरी	22.04.2015	03.01.2024
2	गारे पालमा IV/5	23.03.2015	07.02.2024
3	साहापुर पूर्व	03.03.2021	19.11.2024
4	मंदाकिनी बी	08.08.2016	09.02.2021

3. इन खानों के संबंध में पुनः आवंटन और समाप्ति के बीच की निर्दिष्ट अवधि के बाहर उत्पन्न होने वाले दावों पर इस शीर्ष के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सहायक लेखा-बही खातों, सांविधिक आकलन आदेशों तथा लेखापरीक्षित विवरणों सहित स्पष्ट रूप से पृथक रखा जाना चाहिए।

अनुबंध-II: शपथ-पत्र का प्रारूप

(10/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर निष्पादित किया जाए तथा नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ-पूर्वक प्रमाणित किया जाए)

मैं, _____, आयु _____ वर्ष, निवासी _____, _____ (दावेदार) की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्यरत, एतद्वारा निम्नानुसार सत्यनिष्ठा से कहता हूँ/कहती हूँ:

1. यह कि मुझे मेरे संगठन/प्राधिकरण द्वारा संगठन/प्राधिकरण की ओर से शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
2. यह कि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 06.10.2026 की सूचना सं. एनए-110/1/2021-एनए के उत्तर में संगठन/प्राधिकरण की ओर से पत्र सं. _____ दिनांक _____ के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूचना/दस्तावेज़ आधिकारिक अभिलेखों से सत्यापन के पश्चात प्रस्तुत किए गए हैं तथा मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।
3. यह कि उपर्युक्त प्रदत्त सूचना में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आज दिनांक _____ 2026 माह _____ वर्ष 2026 को स्थान _____ पर सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान एवं सत्यापन किया गया।

(हस्ताक्षर)

नाम, पदनाम एवं मुहर